रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012021-224449
CG-DL-E-15012021-224449

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 14, 2021/पौष 24, 1942
No. 147] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 2021/PAUSHA 24, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2021

का.आ. 167(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि बिहार राज्य के वैशाली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -19 के कि.मी. 207.200 से कि.मी. 214.615 तक के भूखण्ड (रामाअशीष चौक हाजीपुर, वैशाली कि.मी. 207.200 से जीरो माइल, पटना कि.मी. 221.700) के संरचना (मौजूदा 4 -लेन एमजी सेतु के सामानांतर नए पुल और इसके पहुंचमार्गो के निर्माण) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी,अर्थात् जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी,आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

बिहार राज्य के वैशाली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 19 के कि.मी. 207.200 से 214.615 कि.मी. तक के भू-खण्ड के संरचना (मौजूदा फोरलेन एम.जी. सेतु के सामानांतर नया पुल और उसके पहुंच मार्ग के निर्माण) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: बिहार		**जिले का नाम: वैशाली**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)**
तालुक का नाम: हाजीपुर					
गांव का नाम: सैफपुर /सैदपुर					
1	206	निजी	भीठ - 2 / आवासीय	0.2080000(हेक्टेयर)	0.2080000
			कुल	**0.2080**	**0.2080**

[फा. सं. RW/PAT/NH/19/GANGA/2016/3A3]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2021

S.O. **167(E).—**In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act,1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act),the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building(Construction of new bridge with approaches parallel to existing 4- Lane MG Setu), maintenance, management and operation of National Highway No. 19, in the stretch of land from Km. 207.200 to Km. 214.615 (Ramashish Chowk Hajipur, Vaishali Km. 207.200 to Zero mile , Patna Km. 221.700) in the district of Vaishali in the state of Bihar, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, District Land Acquisition Officer ,Vaishali in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from NH -19 from Km. 207.200 to Km. 214.615 in Vaishali District in the state of Bihar for construction of new bridge with approches parallel to existing 4 -lane with MG Setu.

State: BIHAR District: VAISHALI					
Sl. No.	**Survey / Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectare)**
Taluk: Hajipur					
Village: saifpur /saidpur					
1	206	Private	Bhit -2 /Resi.	0.2080000(Hectare)	0.2080000
			Total	**0.2080**	**0.2080**

[F.No. RW/PAT/NH/19/GANGA/2016/3A3]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.01.15 19:12:13 +05'30'